पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
क्वा0 नं0 89–92/40
अपोजिट 12/ए, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
बिहार, पटना– 800001

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 12, 1993 की धारा–14 के अधीन वर्ष 2012–13 का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन।

1. <u>प्रशासनिकः–</u>

(क) <u>आयोग के गठन का उद्देश्य एवं कृत्यः–</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में सरकारी सेवा एवं पदों की रिक्तियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को उचित ठहराते हुए यह आदेश दिया कि सभी राज्यों में और केन्द्र में एक ऐसे आयोग या निकाय का गठन किया जाय, जो इस बात की जाँच करेगा कि नागरिकों का कौन सा वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जिसका संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार की पिछड़े वर्गों की सूची में समावेशन किया जाना चाहिए या किन वर्गों का ऐसी सूचियों में अतिसमावेशन या अल्प समावेशन हुए हैं और वे तत्संबंधी अपनी सलाह राज्य/केन्द्र सरकार को देगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वितीय अध्यादेश 1993 (बिहार अधिनियम 12, 1993) जो दिनांक 21 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, की धारा–3 (1) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु एक निकाय का गठन हुआ, जो पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना रूप में जाना गया।

उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार आयोग के निम्नलिखित पाँच सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैंः–

1. अध्यक्ष
2. एक समाज विज्ञानी
3. दो व्यक्तियों जो पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखते हों,
4. सदस्य सचिव, जो बिहार सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं।

अधिनियम की धारा–4 के अधीन प्रत्येक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन (3) वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

प्रसंगाधीन वित्तीय वर्ष में आयोग के निम्नलिखित सदस्य रहे हैंः–

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	अभियुक्ति
1.	न्यायमूर्ति (से0 नि0) धर्मपाल सिन्हा	अध्यक्ष	03.07.2012	
2.	श्री दामोदर प्रसाद	सदस्य सचिव	21.03.2013	
3.	डॉ0 निहोरा प्रसाद यादव	सदस्य	08.07.2010	07.07.2013 को कार्यकाल पूरा हो चुका है।
4.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	
5.	रिक्त	रिक्त	रिक्त	

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतनमान् एवं सेवा–शर्त्तों के निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नियमावली बनायी गयी है, जिसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं0 GSR-2 दिनांक 13.04.1998 द्वारा निर्गत किया गया है।

अधिनियम की धारा– 9 (1) में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से निम्नलिखित संशोधित कृत्य प्रतिस्थापित किया गया है–

(क) आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे।

(ख) संविधान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अन्तर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने तथा लोक सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जाँच करेगा एवं राज्य सरकार को यथोचित सलाह देगा ताकि राज्य सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर सके।

(ग) समय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा।

धारा– 9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा– 11 (1) के अधीन राज्य सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के लागू किये जाने के दस वर्षों की समाप्ति पर ओर उसके बाद प्रत्येक अनुवर्ती दस वर्षों की अवधि पर पिछड़े वर्गों की सूची से उन वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हैं, हटाने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्ग को शामिल करने के लिए सूची को पुनरीक्षित कर सकेगी। अधिनियम की धारा–11 (2) के अनुसार, राज्य सरकार उपर्युक्त पुनरीक्षण करते समय आयोग की राय लेगी।

(ख) <u>आयोग के कर्मीः–</u>

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आयोग के लिए ज्ञापांक 83 दिनांक 01.07.1996 एवं अन्य अनुवर्त्ती पत्रांकों के माध्यम से निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मियों की सं0	रिक्त पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासनिक–सह–लेखा पदाधिकारी	1 (एक)	1 (एक)	–	
2	प्रशाखा पदाधिकारी	1 (एक)	1 (एक)	–	
3	सहायक	2 (दो)	2 (दो)	–	
4	निजी सहायक	3 (तीन)	1 (एक)	2 (दो)	
5	टंकक	1 (एक)	–	1 (एक)	

6	आदेशपाल	4 (चार)	3 (तीन)	1 (एक)	
7	झाड़ूकस—सह—फरास	1 (एक)	1 (एक)	—	
8	चौकीदार—सह—रात्रि प्रहरी	1 (एक)	—	1 (एक)	
9	कार चालक	2 (दो)	2 (दो)	—	
10	कम्प्युटर ऑपरेटर	1 (एक)	1 (एक)	—	
	कुल पद	17 (सत्रह)	12 (बारह)	5 (पाँच)	चालू वित्तीय वर्ष में 5 रिक्त पद है।

अधिनियम की धारा— 5 (1) के अनुसार राज्य सरकार आयोग के कार्य कलापों को प्रभावशाली निष्पादन हेतु ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जो आवश्यक हो, की सेवा आयोग को उपलब्ध करायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग आयोग का प्रशासी विभाग है। अतएव उसके द्वारा ही कर्मियों की सेवा आयोग को उपलब्ध करायी जानी है किन्तु उसकी सहमति से आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य विभागों से भी कर्मियों की सेवा ली जाती है एवं संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति की जाती है।

2 (क) <u>सरकार के प्राप्त अनुदानः—</u>

अधिनियम की धारा—12 के अनुसार राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऐसी रकम का भुगतान आयोग को करेगी जैसा वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए उचित समझे। वित्तीय वर्ष 2012—13 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कुल राशि ₹ 1,04,00000/— (एक करोड़ चार लाख मात्र)बैंर्क्स चेक के माध्यम से आयोग को दो बराबर किस्तों में उपलब्ध करायी गयी एवं पूर्व वित्तीय वर्ष की शेष राशि ₹30,31,368.58 (तीस लाख इकतीस हजार तीन सौ अड़सठ रु0 अंठावन पैसे मात्र), कुल राशि ₹1,34,31,368.58 (एक करोड़ चौंतीस लाख इकतीस हजार तीन सौ अड़सठ रु0 अंठावन पैसे मात्र) से 69,35,983/— मात्र का व्यय हुआ एवं शेष 64,95,358.58/— रुपये को अगले वित्तीय वर्ष में वेतन एवं अन्य मद में व्यय हेतु रखा गया है, इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए ₹1,54,36000/— (एक करोड़ चौवन लाख छतीस हजार मात्र) रुपये का बजट में उपबंध किया गया है जिसे आयोग को अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ख) <u>लेखा का अंकेक्षणः—</u>

अधिनियम की धारा—13 (2) के अधीन आयोग की लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2008—09, 2009—2010, 2010—2011 एवं 2011—2012 (जुलाई 2012) तक के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा कराया गया है। अंकेक्षण में महालेखाकार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता प्रतिवेदित नहीं की गयी है और न ही किसी प्रकार की आपत्ति ही दर्ज की गयी है। मात्र रोकड़ पंजी आदि के संघारण/रख—रखाव के संबंध में कुछ सुझाव दिया गया जिसका भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन आयोग द्वारा दे दिया गया और तद्नुसार उसका अनुपालन किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा आयोग के लेखा का अंकेक्षण तीन—चार वित्तीय वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है।

इसके लिए आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महालेखाकार, बिहार, पटना से पत्र के माध्यम से अनुरोध के साथ स्मारित भी किया जाता है।

3. **संचालन/कार्य–कलाप**

(क) **बैठकें–**

आयोग की बैठक की तिथि	जाति के संबंध में मुख्य निर्णय	प्रशासी विभाग एवं अन्य द्वारा सौंपे गये कार्यो के संबंध में मुख्य निर्णय	शिकायत के संबंध में मुख्य निर्णय
20.04.2012	(1) ''गोस्वामी'' जाति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले के निष्पादन के उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जायेगी। बरई, चौरसिया जाति के मामले में नगर–निकाय चुनाव की समाप्ति एवं नये सदस्यों की नियुक्ति के बाद विचार–विमर्श किया जयेगा । (2) तेली जाति के मामले में विचारोपरांत संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया। (3) ''गद्दी'' के मामले में खण्डपीठ के माननीय सदस्यों द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से अस्वीकार करते हुए नगर–निकाय चुनाव के बाद एवं नये सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही विचार करने का निर्णय लिया गया।		
25.05.2012		वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए राज्य सरकार को भेजे जानेवाले उपयोगिता प्रमाण–पत्र को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	
23.08.2012		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त पत्रांक NCBC/1/14/19/2008 RW दि. 14.06.2011 के अनुपालन में वांछित जातियों के संबंध में इस आयोग में उपलब्ध सूचनाएँ/सलाह रष्ट्रीय पिछड़ा	

		वर्ग आयोग को उपलब्ध करा दी जाय।	
12.09.2012	(1) गोस्वामी/सन्यासी जाति के मामले में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि आयोग में सदस्य का पद रिक्त है इसलिए आयोग के द्विसदस्यीय खण्डपीठ के माननीय सदस्य श्री दामोदर प्रसाद एवं डॉ. निहोरा प्रसाद यादव द्वारा पैरघा/परिहार जाति के मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत गोस्वामी/सन्यासी जाति के मामले में स्थानीय जांच किया जायेगा। (2) कमार (लोहार, कर्मकार) जति जो अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनु.—1 में शामिल है, से ''कमार'' जति को विलोपित करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरांत सर्वसम्मति से आवेदन में किये गये अनुरोध को खारिज कर दिया गया। (3) पैरघा/परिहार जाति के मामले में गठित खण्डपीठ के माननीय सदस्यों में यथाशीध्र परिभ्रमण कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया।	कैथलवैश्य/कथबनिया जाति के मामले में प्रशासी विभाग के पत्रांक 10939 दिनांक 03.08.12 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिन्दुरिया जाति के तत्कालीन आवेदक श्री अरविन्द कुमार निराला, कैथल वैश्य/कथबनिया के आवदेक श्री उपेन्द्र दास एवं सचिव, अति पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा से उत्पन्न विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए संबंधित सभी पक्षों से मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग करने का निर्णय लिया गया। (2) ''कानू'' जाति के साथ ''हलुवाई''जाति के शामिल किये जाने के विरूद्व प्राप्त आपत्तियों के साथ प्रशासी विभाग के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से किये गये अनुरोध पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।	
12.11.2012		(1) कानू जाति के साथ शामिल हलुवाई जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची अनु.—1 के क्रमांक—3 से विलोपित करते हुए उसी अनुसूची—1 की अंतिम प्रविष्टि में स्वतंत्र रूप से शामिल करने हेतु राज्य सरकार को आयोग की सलाह दने का निर्णय लिया गया। (2) गद्दी जाति के मामले में आयोग द्वारा कृत कार्रवाई से मुख्यमंत्री	

		सचिवालय को अवगत कराने संबंधी प्रशासी विभाग के पत्रांक 13769 दि. 04.10.2012 के आलोक में तत्संबंधी खण्डपीठ के जांच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण उसे अस्वीकृत किया गया, इस आशय से प्रशासी विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।	
24.12.2012	कैथलवैश्य/कथबनिया जाति के मामले में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस जाति को सिन्दुरिया जाति के साथ अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची अनु–1 में समावेशन हेतु राज्य सरकार को आयोग की सलाह भेज दी जाय।	कानू जाति से हलुवाई जाति को अलग करते हुए स्वतंत्र रूप से अनु–1 में शामिल करने संबंधी आयेाग की सलाह को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। (पत्रांक 256 दि. 31.12.12 द्वारा प्रेषित)	
07.01.2013	कैथलवैश्य/कथबनिया जाति के मामले में राज्य सरकार को भेजी जाने वाली आयोग की सलाह के प्रारूप को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। (पत्रांक–9 दि. 08.01.2013 द्वारा प्रेषित)		
25.03.2013	''जागा'' जाति के मामले में स्थल निरीक्षण करने हेतु खण्डपीठ का गठन करने का निर्णय लिया गया एवं इसके लिए श्री दामोदर प्रसाद मा.सदस्य सचिव एवं डॉ. निहोरा प्रसाद यादव मा. सदस्य का खण्डपीठ का सदस्य मनोनीत किया गया।	प्रशासी विभाग के पत्रांक 4495 दि. 18.03.2013 के अनुपालन में "खंगर" एवं "खंगार" जाति से उत्पन्न विरोधाभास को दूर करने के लिए संबंधित पक्षों से वांछित सूचना की मांग करने का निर्णय लिया गया।	

अधिनियम की धारा–8 (2) के तहत आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया का विनियमन तैयार किया गया है, जिसे पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विनियमन 1997 कहा जाता है। इस विनियमन के अनुसार आयोग की साधारण बैठक, सुनवाई हेतु आयोजित आयोग की बैठक सहित सामान्यतः हर माह आयोग के मुख्यालय अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित स्थान पर कम से कम एक बार आयोजित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में सम्पन्न आयोग की बैठक एवं उसमें लिये गये प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं–

(ख) <u>आयोग में उपलब्ध अभ्यावेदनों की स्थितिः—</u>

वित्तीय वर्ष 2011—12 में लंबित अभ्यावेदनों की सं0	2012—13 में प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या	कुल	2012—13 में निष्पादित मामले की सं0	आलोच्य अवधि में निष्पादन हेतु प्रक्रियान्तर्गत मामलों की सं0	विभाग के अनुरोध पर निष्पादित मामलों की संख्या	लंबित मामलों की सं0
12	03	15	02	07	04	13

वित्तीय वर्ष 2012—13 में आयोग द्वारा जिन मामलों का निष्पादन किया गया है, वे हैं—

1. तेली— संचिकास्त किया गया।
2. साई/फकीर/मदार/दिवान— अति पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रेषित।

प्रशासी विभाग एवं अन्य विभाग के अनुरोध पर निम्नलिखित मामलों का निष्पादन कर दिया गया है—

1. मल्लाह/केवट जाति— माननीय उच्च न्यायालय के निदेश पर निष्पादित
2. कैथलवैश्य/कथबनिया— प्रशासी विभाग के अनुरोध पर निष्पादित।
3. कानू/हलवाई जाति— प्रशासी विभाग के अनुरोध पर निष्पादित (हलवाई जाति को स्वतंत्र रूप से समावेशन संबंधी सलाह
4. देवकी देवी से प्राप्त शिकायत— पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिवेदन।

वित्तीय वर्ष 2012—13 में निम्नलिखित मामले प्रक्रियान्तर्गत हैं जिन पर कार्रवाई की स्थिति निम्नवत् रही है—

1. गद्दी जाति— जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकृत करने के फलस्वरूप प्रक्रियान्तर्गत।
2. बरई तमोली— स्थानीय जाँच हेतु लंबित।
3. खत्री जाति— प्रक्रियाधीन।
4. चनऊ जाति— प्रक्रियाधीन।
5. गोस्वामी/सन्यासी जाति— खंडपीठ गठित।
6. पैरघा/परिहार जाति— खंडपीठ गठित।
7. जागा जाति— खंडपीठ गठित।

क्र0 सं0	जाति/शिकात्तकर्त्ता के पत्र	सुनवाई की तिथि	गवाहों की सं0
01	श्री मुरारी पोद्दार से प्राप्त शिकायत	19.07.2012 03.08.2012	
02	पैरघा/परिहार	21.08.2012	28 गवाह
03	श्री अशोक कुमार तमोली से प्राप्त शिकायत	11.10.2012	

04	डॉ0 सुधीर कुमार से प्राप्त शिकायत	22.02.2013 08.03.2013	
05	चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायत	05.03.2013 20.03.2013	
06	गणेश गिरिवरधारी महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायत	06.03.2013 05.04.2013 30.04.2013 17.05.2013	
07	जागा जाति	11.03.2013	11 गवाह
08	मनीष कुमार से प्राप्त शिकायत	20.03.2013	
09	बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध शिकायत	19.03.2013 09.04.2013	

(ग) आलोच्य अवधि में सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत कुल 29 मामला आयोग में प्राप्त हुआ जिसका आयोग द्वारा ससमय निष्पादन कर दिया गया है।

इस अवधि में अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष 3 मामले लाये गये उसका भी निष्पादन ससमय कर दिया गया। राज्य सूचना आयोग से संबंधित कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा– 9(ख) के तहत आलोच्य अवधि (2012–13) में कुल 22 शिकायत–पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 10 शिकायतें इस आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं रहने के कारण उसे अस्वीकृत कर दिया गया एवं शेष 12 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है।

प्रायः ऐसी सूचना मिलती रहती है कि जिस मामले में आयोग द्वारा विहित प्रक्रियान्तर्गत कार्रवाई करने के उपरांत जो सलाह राज्य सरकार को दी जाती है उसके अनुरूप दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और लाभार्थी को उचित लाभ नहीं मिल पाता है जिससे शिकायतकर्त्ता/पीड़ितों का मनोबल टूट जाता है और आयोग की सलाह मुख्यतः निष्प्रभावी सिद्ध होती है वहीं दूसरी ओर आरक्षण विरोधी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ता जाता है जिससे भविष्यमें सरकार की न्याय के साथ विकास की मूल भावना व मूल धारणा निष्प्रयोजित व निष्फल सिद्ध हो सकती है।

ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दी जाने वाली सलाह के अनुरूप संबंधित विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई आवश्यक है, साथ ही आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई में संबंधित विभाग का सकारात्मक सहयोग भी महत्वपूर्ण है जिससे आयोग को दी गई शक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी ओर पिछड़े वर्ग के नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।

(ड़) **विविधः—**

आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया का जो विनियमन तैयार किया गया है उसके अनुसार आयोग अगर आवश्यक समझे तो किसी अभ्यावेदन के संबंध में स्थानीय जाँच का निर्णय ले सकता है और इसके लिए एक या एक से अधिक उपसमिति का गठन अपने स्तर से कर सकता है। स्थानीय जाँच हेतु गठित उपसमिति में कम से कम दो सदस्य होते हैं।

जाँच के क्रम में अधिनियम की धारा—10 के प्रावधानों का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जाता है।

आयोग की प्रक्रियानुसार जिस जाति के संबंध में स्थल निरीक्षण किया जाना रहता है उसकी घनी आबादी वाले जिलों/प्रखंडों/ग्रामों का चयन किया जाता है और चयनित स्थानों में विचाराधीन जाति की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है साथ ही, उस क्रम में उसकी आर्थिक स्थिति भी दृष्टिगोचर होती है।

(च) **आयोग की समस्याएँ**

(1) **आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र का सरकार द्वारा निर्धारणः—**

अधिनियम की धारा—14 के तहत सरकार को भेजे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन की प्रपत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है जो अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप आयोग द्वारा अपने ही निर्धारित शीर्षो के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाता है। अतः आयोग यह मानता है कि जिन शीर्षो (प्रपत्र) में वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाता रहा है, वह सरकार को मान्य है।

(2) **आंकड़ों का सत्यापन**

आयोग में किसी वर्गो की सूची में समावेशन हेतु जो अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं अथवा किसी वर्ग को सूची में अति समावेशन या अल्प समावेशन के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उस पर कार्रवाई के क्रम में संबंधित जाति/वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति और विभिन्न सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व की स्थिति से संबंधित आंकड़ों की मांग की जाती है।

आवेदकों द्वारा आंकड़ें अनुमान्य के आधार पर ही प्रस्तुत किये जाते हैं। इन आंकड़ों का सत्यापन सरकार के स्तर से होना आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिला स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को इस कार्य के लिए लगाया जाय और सरकार द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किया जाय।

(3) **ससमय पर्याप्त निधि का उपलब्ध नहीं होनाः—**

आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान सरकार से उपलब्ध कराये गये अनुदान की राशि से होता है। अनुदान की स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होने से राशि ससमय प्राप्त नहीं हो जाती है जिससे वेतनादि सहित अन्य आकस्मिक कार्यालय व्यय में आर्थिक कठिनाई होती है।

(4) **<u>कार्यबल का अभावः—</u>**

आयोग के कार्य—कलापों के प्रभावशाली निष्पादन हेतु कुल 17 पदों का सृजन किया गया है जिसके विरुद्ध मात्र आलोच्य अवधि में 12 (बारह) पदों पर कार्यबल उपलब्ध है। रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यबल उपलब्ध कराने हेतु बार—बार स्मारित किया जा रहा है किन्तु अब तक समुचित कार्यबल उपलब्ध नहीं हो सका है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस समय आयोग के लिए पदों का सृजन किया गया था उस समय आयोग का कार्य—भार कम था। वर्तमान में आयोग के कृत्यों एवं दायित्वों में वृद्धि की गई है जिसके प्रभावशाली निष्पादन के लिए अतिरिक्त पदों (कार्यबल) के सृजन की आवश्यकता है जिसके लिए भी प्रशासी विभाग से पत्राचार किया गया है।

पर्याप्त कार्यबल के अभाव में आयोग के कार्य सम्पादन में कठिनाई के साथ ही विलम्ब भी होता है।

(5) **<u>कुछ जिलाधिकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा खण्डपीठ के सदस्यों का समुचित सहयोग नहीं किया जानाः—</u>**

खण्डपीठ के माननीय सदस्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि स्थल निरीक्षण हेतु खण्डपीठ के परिभ्रमण कार्यक्रम की सूचना संबंधित जिलाधिकारियों का आयोग की प्रक्रियानुसार विधिवत् 21 दिन पूर्व दी जाती है इसके बावजूद कुछ जिलाधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संबंधित जाति के बारे में कोई विशेष आंकड़ें/सूचना एवं प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग नहीं लिया जाता है और न ही खण्डपीठ के माननीय सदस्यों के आवासन एवं सुरक्षा ही सुनिश्चित करायी जाती है जिससे आयोग के कार्यों में समुचित सहयोग के अभाव में कठिनाई होती है।

इसके लिए भी आयोग द्वारा प्रशासी विभाग से यह अनुरोध किया जा चुका है कि आयोग के खण्डपीठ के सदस्यों की कार्रवाई में अपेक्षित सहयोग देने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय।

(6) **<u>आरक्षण—नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत—पत्र/अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा दी जाने वाली सलाह के प्रति उदासीनता बरतने के संबंध में।</u>**

आयोग को प्रभावशाली ढंग से पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अन्तर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों से प्राप्त विशिष्ट शिकयतों की जाँच करने एवं तत्पश्चात् यथोचित सलाह देने की शक्ति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आवेदक से प्राप्त शिकायत—पत्र पर विधिवत् जाँच की जाती है। जाँच के क्रम में संबंधित विभाग (आरोपी) को सुनवाई के समय अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के पश्चात् आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग को प्रावधानानुसार अपनी सलाह दी जाती है, किन्तु संबंधित विभाग (विशेषकर शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग) द्वारा आयोग की कार्यवाही में समुचित सहयोग नहीं करने के साथ ही सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसके आलोक में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों एवं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है।

अतः यह आवश्यक है कि शिकायत–पत्र के आलोक में भेजी जाने वाली आयोग की सलाह को गम्भीरता से लेते हुए उसके अनुरूप यथाशीघ्र कार्रवाई करने लिए सभी विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों की अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किया जाय। साथ ही, जानबूझ कर आयोग की सलाह के प्रति उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाय एवं आयोग की सलाह के आलोक में कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने का निर्देश दिया जाय।

ह0/–
(दामोदर प्रसाद)
सदस्य सचिव
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
बिहार,पटना।